PUBLIC AND PRIVATE SECTORS IN INDIA

सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र से आशय :→

सार्वजनिक क्षेत्र से आशय उन संस्थाओं से है जो स्वामित्व, प्रबन्ध एवं नियन्त्रण की दृष्टि से केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय स्वशासन अथवा निजी संस्थाओं के अधीन रहती है।

निजी क्षेत्र से आशय :— उन संस्थाओं से है जो स्वामित्व, प्रबन्ध एवं नियन्त्रण की दृष्टि से सरकार के अधीन नहीं रहतीं और सेवाएँ तथा उपभोक्ता वस्तुएँ जनसाधारण को उपलब्ध कराती रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लोक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, लोकउद्योग आदि कहा जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का सदैव से ही अपना एक विशेष स्थान रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र का गठन भारत में कुछ एक दशकों की बात है जबकि निजी क्षेत्र विगत सैकड़ों वर्षों से विकास की तपस्या में लीन है।

सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र :→

सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में निम्नलिखित है

1. स्वामित्व एवं प्रबन्ध :→

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व केन्द्र या राज्य सरकारों का होता है, इस दृष्टि

Scanned with CamScanner

से इनके प्रबन्ध का उत्तरदायित्व भी इन्ही का है। प्रबन्ध एवं संचालक मण्डल के माध्यम से किया जाता है, यदि उपक्रम विभाग विशेष का है तो सम्बन्धित सरकार ही उसका प्रबन्ध करती है विशिष्ट स्थितियो मे इनके प्रबन्ध के लिए समितियाँ भी गठित कर दी जाती है।

निजी क्षेत्र मे उपक्रमो का स्वामित्व निजी होता है। पूँजी के साथ-साथ इन क्षेत्रो मे प्रबन्ध भी निजी ही होता है। सरकार का इन उपक्रमो मे कोई हस्तक्षेप नही होता। वर्तमान मे कुछ विशेष परिस्थितियो मे सरकार को इनमे हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

2. उद्देश्य :→

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का उद्देश्य जनसेवा और राष्ट्र कल्याण होता है, निजी क्षेत्र के उपक्रम जनसेवा के स्थान पर अधिकाधिक लाभ कमाने मे लगे रहते है, लाभ कमाने की दृष्टि से वे सरकार को विभिन्न प्रकार से हानि भी पहुँचाते है।

3. कर्मचारियों के हितो की रक्षा :→

सामान्यतया यह माना जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र समाज कल्याण की दृष्टि से कार्य करता है। सार्वजनिक क्षेत्र मे कार्यरत अनेक श्रमिको एवं अन्य कर्मचारियों को अच्छा वेतनमान, अन्य लाभ-समुचित अवकाश एवं सेवा निवृत्ति उपरान्त

Scanned with CamScanner

लाभ प्राप्त होता है।
निजी क्षेत्र की कुछ ही कम्पनियाँ कार्य की उत्तम परिस्थितियाँ, विश्वस्त एवं उचित वेतन एवं सेवा निवृति उपरान्त लाभ उपलब्ध करती है।

4 नियन्त्रण : →

अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे बहुत लम्बे समय तक अध्यक्ष या मुख्याधिकारी का चयन नही किया जाता और ये उपक्रम बिना किसी नियन्त्रण के कार्य करते रहते है।
प्रबन्ध व्यवस्था अत्यन्त हानिकारक होती है, क्योंकि अधिकांश नीतिगत निर्णय अनदेखे कर दिए जाते है।
स्वामी पर संचालन मण्डल को समस्त अधिकार प्राप्त होते है।

5. प्रबन्धकों का हित : →

सार्वजनिक उपक्रमो मे कुशल प्रबन्धकों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। सार्वजनिक उपक्रमो मे नौकरशाही को ही प्रबन्ध का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उनमे प्रबन्धकीय योग्यताएँ विद्यमान हो अथवा नही।
निजी क्षेत्र के उपक्रमो मे प्रबन्धन व्यक्तिगत हितों को महत्व न देते हुए कम्पनी हित को अधिक महत्व देता है।

6. लेखा परीक्षण : →

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे लेखा परीक्षण शासकीय नियमो के अन्तर्गत होता है निजी क्षेत्र मे लेखा

Scanned with CamScanner

परीक्षण का कार्य चाहिये एकाउण्टेण्ड करते है।

7. पूँजी की व्यवस्था :⟶

सार्वजनिक क्षेत्र मे उपक्रम आर्थिक आधिशेष का सृजन करते है उसका उपयोग या तो उसी उद्यम के विस्तार या नए उद्यमो की स्थापना के लिए किया जाता है जिसके कारण देश की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि होती है।

8. आर्थिक अधिशेष का सृजन :⟶

सार्वजनिक क्षेत्र मे उपक्रम जिस आर्थिक आधिशेष का सृजन करते है उसका उपयोग या तो उसी उद्यम के विस्तार या नए उद्यमों की स्थापना के लिए किया जाता है जिसके कारण देश की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि होती है।

9. संसाधन :⟶

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के समक्ष संसाधनों की कमी नही रहती, इसलिए सरकार सरकार अरबो रुपये व्यय करके विभिन्न उद्योग स्थापित करने मे सक्षम है, जबकि निजी क्षेत्र मे इतने बड़े पैमाने पर संसाधन उपलब्ध नही है, जिसमे लाखो रुपये की पूँजी लगायी जा सके।

10. समाज हित मे :⟶

निजी क्षेत्र उपभोक्ताओं की रुचियों एंव इच्छाओं का अधिक ध्यान रखता है और उन्ही के अनुसार अपना उत्पादन ढांचा निश्चित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा, निजी क्षेत्र समाज हित मे उत्तम उपभोक्ता सेवाएँ प्रदान करता है।

उदारीकरण एंव निजीकरण

सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए अब उदारपूर्ण नीति को अपनाया है। नीति को अपनाने का उद्देश्य संसाधनों का पूर्णतया उपयोग करना, निर्यातों का सम्वर्द्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघु स्तरीय उद्योगों का विकास तथा नए उद्यमियों को उन्नति के अधिक अवसर प्रदान करना है।

उदारता की ओर कदम :→ हाल ही में सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों को उदार बनाने के लिए विभिन्न रियायतें दी हैं जो निम्न हैं :-

1. प्रमुख क्षेत्र में और अधिक उद्यमों का समावेश किया गया है जिसका आशय यह है कि अब FERA कम्पनियों तथा बड़े व्यावसायिक घरानों को इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए छूट दी जायेगी।
2. उद्यमों को अपनी क्षमता के 25 प्रतिशत विस्तार के अतिरिक्त विगत 5 वर्षों में अधिकतम उत्पादन की 33.3 प्रतिशत क्षमता के विस्तार की अनुमति दी जायेगी।
3. बड़े घरानों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रमुख क्षेत्र के बाहर भी उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी, यदि ये उद्योग निर्यातोन्मुख हैं।
4. उन उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जायेगी जोकि पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा "उद्योगहीन" क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।
5. उद्योगों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए वे अपने उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन कर सकते हैं।

6. भारतीय उद्यमियों को विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी हस्तान्तरण के समझौते करने की छूट दी गई है।

7. पंजीकरण से सम्बन्धित सभी प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है।

इस प्रकार उदारीकरण की नीति से निजीकरण को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

Scanned with CamScanner